फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

सत्यमेव जयते
W... Copy - Not Official

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– ....**डीडवाना**.........

वादी– जोरसिंह पुत्र धोंकलसिंह जाति राजपूत निवासी आजडोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान
बनाम् **प्रतिवादीगण–** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म **मुकदमा**–राजस्व वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. संख्या–...**154**...सन्–...**2017**...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.06.2017	पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2017" कैम्प कोर्ट आकोदा में पेश हुई। वादी जोरसिंह पुत्र धोंकलसिंह जाति राजपूत निवासी आजडोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने प्रतिवादीगण तहसीलदार डीडवाना व ज्ञानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी आजडोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. के पेश किया। राजस्व वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा सं0 125 रकबा 09 बीघा तथा खसरा सं0 178/55 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 186/66 रकबा 09 बीघा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद आजडोली पटवार हल्का थेबडी में अवस्थित है। खसरा सं0 125 रकबा 09 बीघा तथा खसरा सं0 178/55 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 186/66 रकबा 09 बीघा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद आजडोली पटवार हल्का थेबडी में वादी के रास्ता खसरा नं0 125 से पश्चिम दिशा को जाने वाला कट्टाणी रास्ता खसरा सं0 187/66 में से गलत हुआ है को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खसरा सं0 186/66 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे ट्रेस नक्शा में रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। प्रतिवादी सं0 01 मजमें आम में उपस्थित। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी के खसरा सं0 125 से पश्चिम दिशा को जाने वाला कट्टाणी रास्ता खसरा सं0 187/66 में से गलत अंकित हुआ है को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में खसरा सं0 186/66 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे रास्ता तरमीम करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो। निर्णय आज मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर डीडवाना	

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017 / 154**

दायर दिनांक **07.06.2017**

वादी		**प्रतिवादी**
1. जोरसिंह पुत्र धोकल सिंह जाति राजपूत निवासी आजडोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना 2. ज्ञानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी आजडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड, घोषणा नक्शा ट्रेस रास्ता तरमीम हेतु
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

दिनांक 07.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व खसरा सं0 125 से पश्चिम दिशा को जाने वाला कट्टाणी रास्ता खसरा सं0 187 / 66 में से गलत अंकित हुआ है को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में खसरा सं0 186 / 66 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे रास्ता तरमीम करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुवलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट तोषीणा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर * डीडवाना *

Scanned by CamScanner